न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –39 / 2024 (अपील)

GCMS No.- 2024/116

कैलाश चन्द आत्मज जवाहर लाल जाति माली निवासी ग्राम अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरां जिला कोटा राज.

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या –26 दिनांक 25.06.1989 ग्राम बोरखण्डी न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा

उपस्थितः–

1. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 05.08.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरखण्डी में खातेदार जवाहर लाल फोत होने पर खातेदार के नाम भूमि खाता संख्या 34 की भूमि का तहसीलदार लाडपुरा द्वारा फोती नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 25.06.1989 उनके वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलान्ट का नाम रामकैलाश दर्ज किया गया।

2 तहसीलदार लाडपुरा के उक्त नामान्तरकरण आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.07.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम नागर के पेश की है कि अपीलान्ट के पिता के नाम ग्राम बोरखण्डी, ग्राम अर्जुनपुरा, ग्राम चन्द्रेसल में आराजी स्थित है, ग्राम अर्जुनपुरा, ग्राम चन्द्रेसल की आराजी में अपीलांट का कैलाशचन्द नाम दर्ज है किन्तु ग्राम बोरखण्डी में स्थित आराजी में कैलाशचन्द के स्थान पर रामकैलाश दर्ज कर देने से अपीलान्ट को कृषि ऋण लेने आदि में परेशानी पैदा होती है । अतः उक्त इंतकाल में अपीलान्ट का नाम रामकैलाश के स्थान पर कैलाशचन्द दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

3 अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4 वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया है अपीलान्ट के पिता के नाम ग्राम बोरखण्डी, ग्राम अर्जुनपुरा, ग्राम चन्द्रेसल में आराजी स्थित है, ग्राम अर्जुनपुरा, ग्राम चन्द्रेसल की आराजी में अपीलांट का कैलाशचन्द नाम दर्ज है किन्तु ग्राम बोरखण्डी में स्थित आराजी में कैलाशचन्द के स्थान पर रामकैलाश दर्ज कर देने से अपीलान्ट को कृषि ऋण लेने आदि में परेशानी पैदा होती है जिस बाबत अपीलान्ट द्वारा अनेक बार राजस्व कर्मचारियों से आग्रह किया किन्तु कोई ध्यान नहीं देने से अपीलान्ट के लिये यह अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया । अपीलान्ट के सभी राजकीय दस्तावेजों में कैलाशचन्द दर्ज है तथा कैलाशचन्द के नाम से ही अपीलान्ट को जानते पहचानते है । इस कारण अपीलान्ट का नाम रामकैलाश के स्थान पर कैलाशचन्द दर्ज किया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल नम्बर 26 में अपीलान्ट का नाम रामकैलाश के स्थान पर कैलाशचन्द दर्ज किये जाने का निवेदन किया है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

5 पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कैलाशचन्द एवं रामकैलाश एक ही व्यक्ति होने की पूर्ण जांच आवश्यक होने पर ही दुरूस्त किये जाने का कथन किया है ।

6 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामान्तकरण संख्या 26 दिनांक 26.06.1989 के विरूद्व दिनांक 12.07.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है जो मियाद बाहर है किन्तु धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है ।

7 अपीलान्ट का प्रस्तुत अपील में मुख्य कथन है कि ग्राम बोरखण्डी में उनके पिता जवाहरलाल फोत होने पर उनके नाम दर्ज भूमि खाता संख्या 34 का तहसीलदार लाडपुरा द्वारा फोती नामान्तकरण संख्या 26 दिनांक 25.06.1989 उनके वारिसान के नाम खोला जिसमें अपीलान्ट का नाम रामकैलाश पुत्र जुवारीलाल दर्ज किया गया जो गलत बताया गया है, जबकि अपीलान्ट का सही नाम कैलाश चन्द आत्मज जवाहरलाल बताया गया है जिसकी पुष्टि में ग्राम अर्जुनपुरा के खाता संख्या 35 एवं ग्राम चन्द्रेसल की जमाबंदी खाता संख्या 128 प्रस्तुत की गई जिसमें कैलाश चन्द पुत्र जवाहरलाल अंकित है, इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड आधार कार्ड एवं तहसीलदार लाडपुरा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.8.2019 प्रस्तुत की है जिसमें अपीलान्ट का नाम कैलाश चन्द बताया गया है ।

8 उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 26 दिनांक 25.06.1989 ग्राम बोरखण्डी अपीलांट के नाम की जांच कर शुद्वि करने की हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है । नामान्तकरण का शेष भाग यथावत रहेगा । तहंसीलदार लाडपुरा को आदेश दिये जाते है कि अपीलांट के नाम की जांच करते हुए दो माह के अन्दर अपना निर्णय पारित करें ।

9 निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा